न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 88/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/349)

1. कृष्ण पुत्र मोहन गुर्जर, जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 बहैसियत भू धारक तहसील बानूसर जिला अलवर राज0।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर राज0 निर्णय दिनांक 09.09.2022 अपील संख्या 12/87/2021 अनुवानी रामनिवास बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर दिनांक 22.02.2019 प्रकरण अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम रामनिवास प्रकरण संख्या 343/2019 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित–

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –14.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 एवं तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.11.2022 को पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 22.02.2019 द्वारा ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0, 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.12 है0 एवं आराजी खसरा नं0 656 रकबा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 में सरसो की फसल काश्त किये जाने पर 150/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 88/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/349)

1. कृष्ण पुत्र मोहन गुर्जर, जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 बहैसियत भू धारक तहसील बानूसर जिला अलवर राज0।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर राज0 निर्णय दिनांक 09.09.2022 अपील संख्या 12/87/2021 अनुवानी रामनिवास बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर दिनांक 22.02.2019 प्रकरण अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम रामनिवास प्रकरण संख्या 343/2019 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित–

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –14.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 एवं तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.11.2022 को पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 22.02.2019 द्वारा ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0, 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.12 है0 एवं आराजी खसरा नं0 656 रकबा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 में सरसो की फसल काश्त किये जाने पर 150/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेसपोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(प्रथम) अलवर के आदेश दिनांक 09.09.2022 व तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट एक ग्रामीण परिवेश का एवं अनपढ व्यक्ति है जिसे कानून व मियाद की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अपील पेश करने में देरी हुई जो क्षमा योग्य है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.11.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 02.11.2022 को नकल प्राप्त की। इसके पश्चात जयपुर आकर अपने वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया और अपील प्रस्तुत की गयी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारित करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 653, 652, 656 किस्म बारानी द्वितीय गैर मुमकिन खाल खद्दर राजकीय भूमियां है, जिन पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अवैध रूप से फसल काश्त/पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुय पश्चातवर्ती/अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 15.11.2022 को पेश की गयी है तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2022 की जानकारी अपीलान्ट को नकल दिनांक 02.11.2022 को प्राप्त होने पर हुई है। माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में इस प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का हरसौरा ने ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0, 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्दर में से 0.12 है0 एवं आराजी खसरा नं0 656 रकबा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 में सरसो की फसल काश्त अंकित करते हुये अतिक्रमी कृष्ण पुत्र मोहन गुर्जर जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। दिनांक 22.02.2019 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए 150/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 28.01.2019 को तलब किया गया। नियत तिथि को अतिक्रमी उपस्थित होकर शपथ-पत्र पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम धीरपुर में किये गये अतिक्रमण को स्वंय ही हटा लिया गया है, अब वर्तमान में उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं रहा है, तथा उक्त भूमियों पर भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करूंगा। दिनांक 22.02.2019 को पटवारी हल्का के बयान लिये गये पटवारी हल्का ने अपने बयान में अंकित किया गया है कि अतिक्रमी कृष्ण पुत्र मोहन गर्जर द्वारा आराजी खसरा नं0 653, 652, 656 रकबा 2.27, 2.80, 3.04 किस्म गैर मुमकिन खालखद्दर, बारानी द्वितीय ग्राम धीरपुर पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया था, उक्त अतिक्रमी द्वारा अब पुनः अतिक्रमण किया गया है, यह अतिक्रमी पश्चातवर्ती है, और बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अर्थात आदतन अतिचारी है। अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र

संभागीय आयुक्त

से जाहिर है कि अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है। अतिक्रमी सहित अदालत के समक्ष अतिक्रमी ने उपस्थित होकर शपथ–पत्र पेश किया गया है। अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से स्पष्ट जाहिर है कि अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है, पटवारी बयान से भी जाहिर है कि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा प्रकरण में पृथक से तहसीलदार बानसूर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी, प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 के अनुसार अपीलान्ट का अभी भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण है अर्थात अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत 2075 फसल खरीफ में भी उक्त भूमि पर फसल बोकर अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर